लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2574
जिसका उत्तर बुधवार, 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों द्वारा पंजीकृत मामले

2574. श्री तनुज पुनिया:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त मामलों में से निपटाए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त मामलों में से एआई, वित्तीय क्षेत्र, अचल संपदा क्षेत्र, चिकित्सागत असावधानी और ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित कितने मामले हैं; और
(घ) इनमें से निपटान किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में पिछले तीन वर्षों (01.01.2022- 31.10.2024) के दौरान दर्ज और निपटाए गए उपभोक्ता शिकायतों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक में है।

****

<u>अनुलग्नक</u>

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में पिछले तीन वर्षों (01.01.2022-31.10.2024) के दौरान दर्ज और निपटाए गए उपभोक्ता मामलों के संबंध में दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2574 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	आयोग	दर्ज किए गए	निपटाए गए
1	अंडमान निकोबार	5	1
2	आंध्र प्रदेश	2170	823
3	अरुणाचल प्रदेश	11	0
4	असम	181	53
5	बिहार	1238	187
6	चंडीगढ़	1366	1080
7	छत्तीसगढ	1265	933
8	दिल्ली	2421	901
9	गोवा	144	96
10	गुजरात	4016	1129
11	हरियाणा	4173	467
12	हिमाचल प्रदेश	1013	531
13	झारखंड	289	54
14	कर्नाटक	8687	2590
15	केरल	2612	534
16	मध्य प्रदेश	5626	1773
17	महाराष्ट्र	9017	787
18	मणिपुर	47	21
19	मेघालय	31	23
20	मिजोरम	20	12
21	नागालैंड	3	1
22	ओडिशा	2431	481
23	पुदुचेरी	27	13
24	पंजाब	3086	1583
25	राजस्थान	4751	2492
26	सिक्किम	15	4
27	तमिलनाडु	4982	1521
28	तेलंगाना	3353	828
29	त्रिपुरा	158	127
30	उत्तर प्रदेश	6171	1920
31	उत्तराखंड	516	196
32	पश्चिम बंगाल	2575	1115

****